रम-संख्या—65

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006
फाल्गुन 26, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 245/सात–वि-1–01(क)2-2006

लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की चतुर्थ अनुसूची में,—

(क) अनुच्छेद एक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :—

क्रमांक	एक तिमाही में तय की गई दूरी (कि0मी0 में)	तिमाही कर की धनराशि (रुपये में)	
		क-वर्ग के मार्गों पर	ख-वर्ग के मार्गों पर
1	2	3	4
1	5700 तक	256.00	288.00
2	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	325.00	361.00
3	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	376.00	393.00
4	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	458.00	511.00
5	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	565.00	630.00
6	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	705.00	787.00
7	18000 से अधिक	(705.00 और प्रत्येक 5700 कि0 मी0 या उसके भाग के लिये रुपये 256.00)	(787.00 और प्रत्येक 5700 कि0मी0 या उसके भाग के लिये रुपये 288.00)"

(ख) अनुच्छेद—चार में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :—

क्रमांक	एक तिमाही में तय की गई दूरी (कि0मी0 में)	तिमाही कर की धनराशि (रुपये में)	
		क-वर्ग के मार्गों पर	ख-वर्ग के मार्गों पर
1	2	3	4
1	5700 तक	192.00	215.00
2	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	244.00	271.00
3	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	265.00	294.00
4	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	344.00	383.00
5	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	424.00	473.00
6	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	529.00	590.00
7	18000 से अधिक	529.00 और प्रत्येक 5700 कि0 मी0 या उसके भाग के लिये रु0 192.00	590.00 और प्रत्येक 5700 कि0 मी0 या उसके भाग के लिये रु0 215.00 :

परन्तु किसी निगम या किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर संचालित की जाने वाली किसी मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर, 35 से अनधिक सीट रखने वाली किसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में प्रति तिमाही 4200 रुपये, और 35 से अधिक सीट रखने वाली किसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में प्रति तिमाही 6000 रुपये होगा।"

(ग) अनुच्छेद पांच में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट द्वारा आच्छादित :–

लोक सेवायान प्रकार	प्रति सीट प्रतिदिन अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण	40.00
(ख) वातानुकूलित	50.00

3–मूल अधिनियम की छठीं अनुसूची में, अनुच्छेद दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जाएगा, अर्थात् :– छठीं अनुसूची में संशोधन

दो लोक सेवायान प्रकार	प्रति सीट प्रतिदिन अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण	40.00
(ख) वातानुकूलित	50.00"

उद्देश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अधीन आच्छादित ठेका गाड़ियों के सम्बन्ध में तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में संचालित परिवहन यानों के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर में अन्य राज्यों के साथ एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है :–

(क) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2003) द्वारा राज्य में संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में एक त्रैमास में कराधान के प्रयोजनों के लिए तय की गयी दूरी के सम्बन्ध में लोप किये गये स्लैब संख्या 2 व 3 को पुनर्स्थापित कर न्यूनतम दूरी 9000 किलोमीटर के स्थान पर 5700 किलोमीटर किया जाना तथा संशोधन से पूर्व इन स्लैबों से सम्बन्धित अतिरिक्त कर की निर्धारित दरों में पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि किया जाना ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988

की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट द्वारा आच्छादित ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में बैठने की क्षमता और संचालन के दिनों के आधार के स्थान पर उत्तर प्रदेश में संचालन पर प्रति दिन, प्रति सीट के आधार पर अतिरिक्त कर का अधिरोपण किया जाना ;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में चलाये जाने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में बैठने की क्षमता और उनकी संचालन अवधि के आधार के स्थान पर उत्तर प्रदेश में उनके संचालन पर प्रतिदिन, प्रति सीट के आधार पर अतिरिक्त कर का अधिरोपण किया जाना।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम हरि विजय त्रिपाठी,,

प्रमुख सचिव।

No 245/VII-V-1-1(ka)2/2006

Dated Lucknow, March 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 3 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2006.

Amendment of the Fourth Schedule to U.P. Act no. 21 of 1997

2. In the Fourth Schedule to the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the prinicipal Act :–

(a) in Article I, *for* clause (a) the following clause shall be *substitutd;* namely :–

"(a) Rate of additional Tax on each seat :–

Sl. No.	Distance Run in a quarter (in Kms.)	Amount of quarterly tax (in rupees)	
		On 'A' Class routes	On 'B'Class routes
1	2	3	4
1	Upto 5700	256.00	288.00
2	Exceeding 5700 but not exceeding 7200	325.00	361.00

Sl. No.	Distance Run in a quarter (in Kms.)	Amount of quarterly tax (in rupees)	
		On 'A' Class routes	On 'B'Class routes
1	2	3	4
3	Exceeding 7200 but not exceeding 9000	376.00	393.00
4	Exceeding 9000 but not exceeding 11700.	458.00	511.00
5	Exceeding 11700 but not exceeding 14400	565.00	630.00
6	Exceeding 14400 but not exceeding 18000.	705.00	787.00
7	Exceeding 18000	705.00 plus 256.00 for every 5700 Kms. or part thereof	787.00 plus 288.00 for every 5700 Kms. or part thereof"

(b) in article IV, *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*; namely :–

"(a) Rate of additional Tax on each seat :–

Sl. No.	Distance Run in a quarter (in Kms.)	Amount of quarterly tax (in rupees)	
		On 'A' Class routes	On 'B'Class routes
1	2	3	4
1	Upto 5700	192.00	215.00
2	Exceeding 5700 but not exceeding 7200	244.00	271.00
3	Exceeding 7200 but not exceeding 9000	265.00	294.00
4	Exceeding 9000 but not exceeding 11700.	344.00	383.00
5	Exceeding 11700 but not exceeding 14400.	424.00	473.00
6	Exceeding 14400 but not exceeding 18000.	529.00	590.00
7	Exceeding 18000	529.00 plus 192.00 for every 5700 Kms. or part thereof	590.00 plus 215.00 for every 5700 Kms. or part thereof

Provided that the additional tax on a stage carriage operating within the limits of a corporation or a municipality shall be Rupees 4200/- per quarter in respect of a stage carriage having not more than 35 seats and Rupees 6000/- per quarter in respect of a stage carriage having more than 35 seats.

(c) in Article V *for* clause (b) following clause shall be *substituted*, namely :–

"(b) Covered by permits under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 *read* with Motor Vehicles (All India permits for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 issued by authorities having jurisdiction outside the State of Uttar Pradesh :–

Public Service Vehicle Type	Rate of additional Tax per seat per (in rupees)
(a) Ordinary	40.00
(b) air conditioned	50.00"

Amendment in Sixth Schedule

3. In the Sixth Schedule to the prinicipal Act, *for* Article II, the follow Article shall be *substituted*, namely :–

"II-Public Service Vehicle Type	Rate of additional Tax per seat per d (in rupees)
(a) Ordinary	40.00
(b) air conditioned	50.00"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to augmenting revenue of the State and to establish uniformity with other st regarding the additional tax payble in respect of contract carriages covered by permits un sub-section (9) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 *read* with Motor Vehicles (All India Permits Tourist Transport Operators) Rules, 1993 issued by authorities having jurisdiction outside the state of U Pradesh and with respect to transport vehicles plying in Uttar Pradesh under temporary permits granted an authority having jurisdiction outside the State of Uttar Pradesh, it has therefore been decided to ame the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) to provide for:–

(a) reestablishing the slabs no. 2 and 3 omitted by Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxati (Amendment) Act, 2003 (U.P. Act no. 4 of 2003), making 5700 kms. instead of 9000 kms. as t minimum distance run in quarter in respect of stage carriage operating in the State for the purpo of taxation and to enhance rates of additional taxes by fifteen per cent relating the said slabs pri to amendment;

(b) imposition of additional tax on the basis of per seat, per day operation in Uttar Prades instead of seating capacity and days of operation basis in respect of contract carriage covered b permits under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 *read* with the Motc Vehicles (All India Permits for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 issued by authoritie having jurisdiction outside the State of Uttar Pradesh;

(c) imposition of additional tax with respect to transport vehicles plying in Uttar Prades under temporary permits granted by an authority having jurisdiction outside the State of Utta Pradesh on the basis of per seat, per day operation in Uttar Pradesh instead of seating capacity anc period of their operation.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By Order.

RAM HARI VIJAY TRIPATHI
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 2299 राजपत्र (हि0)–(3402)–2006–597(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए० पी० 178 सा० विधायी–(3403)–2006–850(कम्प्यूटर / आफसेट)।